



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/07/परीक्षा/2016, दिनांक 05.05.2017

राज्य वन सेवा परीक्षा 2017

वन क्षेत्रपाल के पद हेतु देय आयु सीमा में छूट में संशोधन तथा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन की सूचना

मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12.05.2017

01 आयोग द्वारा वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु वन सेवा के पदों की पूर्ति हेतु "राज्य वन परीक्षा- 2017" का विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2016, दिनांक 05.12.2016 आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in, एवं www.mppsc.com पर जारी किया गया था तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 12.12.2016 के अंक में भी प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं।

02 उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में उल्लेखित आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3, दिनांक 12.07.2016 के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

विज्ञापन में प्रकाशित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
उच्चतम आयु सीमा में छूट (एक) वन क्षेत्रपाल:- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,)/ शासकीय सेवकों निगम मण्डल, स्वायत्तशासी संस्थायें/ नगर सैनिकों तथा वन विभाग के भरती नियम का अनुसरण करते हुए नियुक्त किये गए विभागीय कर्मचारियों हेतु भी अधिकतम आयु 38 वर्ष रहेगी।	उच्चतम आयु सीमा में छूट (एक) वन क्षेत्रपाल:- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,)/ शासकीय सेवकों निगम मण्डल, स्वायत्तशासी संस्थायें/ नगर सैनिकों, महिलाओं तथा वन विभाग के भरती नियम का अनुसरण करते हुए नियुक्त किये गए विभागीय कर्मचारियों हेतु भी अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

03 उक्त संशोधन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों निगम मण्डल, स्वायत्तशासी संस्थायें/ नगर सैनिकों, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों तथा वन विभाग के भरती नियम का अनुसरण करते हुए नियुक्त किये गए विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

04 उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2017 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12.05.2017 निर्धारित की जाती है। त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 14.05.2017 रहेगी।

05 शेष शर्तें एवं नियम पूर्वानुसार ही रहेगी।

Yay

उप सचिव